उत्तराखंड लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) नीति– 2012

सरकारी गजट , उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित दिनांक 15, अक्टूबर 2012
क्रम संख्या **180(d)**

उत्तराखण्ड शासन नियोजन अनुभाग –2 संख्या 583/**UUVI** /दो (15) /2011

विषय–सूची

1. प्रस्तावना एवं नीति उद्देश्य 3
2. मूल सिद्धांत 7
3. परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया 16
4. अनुश्रवण, मूल्यांकन और आकलन ढांचा 19
5. जोखिम आकलन ढांचा 20
6. राज्य सहायता 20
7. स्टेकहोल्डरों के अधिकारों का संरक्षण 21
8. अवधि और नीति की समीक्षा 21

1. प्रस्तावना एवं नीति उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 पहाड़ी क्षेत्र के विकास के मुख्य उद्देश्य के साथ उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवम्बर 2000 को की गई।

वैश्वीकरण के युग में, सरकारों के लिये प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ अर्जित करने से भी बढ़कर समग्र राष्ट्र/राज्य का समावेशी और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये निवेशों का विस्तार राष्ट्र के सभी भागों तक बढ़ाकर लोक अवस्थापना में सुधार करना अत्यावश्यक है।

योजना आयोग, भारत सरकार, ने अनुमान लगाया है कि 12वीं योजना के विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए योजनावधि के दौरान अवस्थापना क्षेत्र में लगभग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निवेश करना होगा। इसका 50 प्रतिशत भाग लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) विधि द्वारा निवेश किए जाने की योजना है। यह परिकल्पना की गयी है कि इस निवेश का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से प्राप्त किया जाना होगा। इसलिए, निजी क्षेत्र को अवस्थापना विकास के साथ–साथ वर्तमान अवस्थापना में सेवा प्रदायगी के सुधार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने तथा सक्रिय रूप से प्रवृत्त करने की आवश्यकता है।

1.1.2 लोक निजी सहभागिता (पीपीपी), निजी क्षेत्र को लोक अवस्थापना विकास के लिये निवेश में प्रवृत्त करने हेतु, सर्वश्रेष्ठ साधनों में से एक है जिसके निम्नलिखित प्रयोजन हो सकते है :

क. सरकारी प्रयासों का सम्पूरक
ख. सरकार के उपलब्ध संसाधनों का अनुपूरक
ग. परियोजनाओं के निष्पादन और सेवा प्रदायगी में प्रचालनात्मक कुशलता और शीघ्रता लाना,
घ. सेवा प्रदायगी और मानक सेवा स्तरों में ग्राहकोन्मुखी दृष्टिकोण पैदा करना और
ड़. अंततः इस क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्द्धा का माहौल तैयार करना।

1.1.3. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उत्तराखंड सरकार लोक निजी सहभागिता हेतु यह नीति, एक मानक साधन के रूप में, लोक सेवाओं और लोक अवस्थापना के पूर्वोपाय हेतु अपना रही है।

इस लोक निजी सहभागिता नीति में सर्वप्रथम लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सुस्पष्ट सहायता की घोषणा और उनके विनियमन तथा राजकोषीय अनुशासन सुदृढ़ीकरण में नियामक की स्थिति पर भी विचार किया गया है।

लोक निजी सहभागिता का पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड सरकार लोक निजी सहभागिता परीक्षण हेतु, परियोजना लागत के संबंध में एक निश्चित आकार से अधिक की सभी अवस्थापना परियोजनाओं पर लागू किए जाने हेतु दिशानिर्देश जारी करेगी। यदि लोक निजी सहभागिता परीक्षण से संकेत मिलता है कि परियोजना लोक निजी सहभागिता के माध्यम से सरकार और समस्त स्टेकहोल्डरों के लिए लाभदायक होगी, तब इसको लोक निजी सहभागिता परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा। लोक निजी सहभागिता परीक्षण में लोक निजी सहभागिता के माध्यम से सरकारी धन के अलाभकारी मूल्य द्वारा लोक निजी सहभागिता की असंभावना का संकेत मिलने की स्थिति में ही इस पर पूर्ण सरकारी वित्तपोषण के अधीन विचार किया जाएगा।

1.2. लोक निजी सहभागिता परिभाषा

1.2.1 यह नीति लोक निजी सहभागिता को "एक पक्ष के रूप में सरकार अथवा सांविधिक संस्था अथवा सरकारी स्वामित्वाधीन संस्था और दूसरे पक्ष के रूप में निजी क्षेत्र की संस्था के बीच, एक सुनिश्चित समयावधि के लिए निजी क्षेत्र सत्ता द्वारा किए जाने वाले निवेश तथा/अथवा प्रबंधन के माध्यम से, लोक लाभ के लिए लोक अवस्थापना संपत्तियों तथा/अथवा संबंधित सेवाओं के प्रावधान हेतु एक अनुबंध आधारित व्यवस्था, जहां निजी क्षेत्र के साथ भारी जोखिम हिस्सेदारी है तथा निजी क्षेत्र निष्पादन से सम्बद्ध भुगतान प्राप्त करता है, जो सुनिश्चित, पूर्व–निर्धारित और मापनीय निष्पादन मानकों के समनुरूप (अथवा निदेशचिन्हित) है," के रूप में परिभाषित किया गया है।

1.2.2 सरकारी संस्था का तात्पर्य होगा :

क. सरकारी विभाग एवं निदेशालय
ख. सरकारी प्रायोजित बोर्ड, समितियां तथा अन्य स्वायत्त निकाय
ग. सरकारी प्रायोजित शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन संस्थाएं
घ. शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतें
ड़. सरकारी स्वामित्वाधीन कम्पनियां

निजी क्षेत्र की संस्था का तात्पर्य ऐसी संस्था है जिसमें 51 प्रति ात अथवा अधिक अं ादानकृत और प्रदत्त इक्विटी एक निजी संस्था द्वारा स्वाधिकृत तथा/अथवा नियंत्रित है। इसमें निजी रूप से स्वाधिकृत/प्रायोजित समितियां, अलाभकारी संगठन भी ाामिल होंगे।

1.3. प्रयोज्यता

1.3.1. यह लोक निजी सहभागिता नीति सरकार अथवा सरकारी संस्था, जैसा कि नीति के अंतर्गत पैरा 1.2.2 में परिभाषित है, द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए गए क्षेत्रों में लोक निजी सहभागिता के माध्यम से कार्यान्वित सामाजिक क्षेत्रों, मूल क्षेत्रों तथा सेवा उद्योग समेत समस्त अवस्थापना परियोजनाओं पर लागू होगी। यह नीति 1.2.2 में परिभाषित राज्य सरकार की समस्त संस्थाओं पर लागू होगी।

1.4. नीति उद्देश्य

1.4.1. इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं :–

1. निजी निवेश के लिए अनुकूल माहौल सृजित करना ताकि :

क. वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु निजी क्षेत्र से अतिरिक्त पूंजी निवे ा प्राप्त की जा सके तथा सरकारी निधियों को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य किंतु सामाजिक रूप से औचित्यपूर्ण परियोजनाओं हेतु बेहतर आबंटन के लिए मुक्त रखा जा सके।
ख. निजी क्षेत्र की अभिनवता, लचीलापन, कारगर लागत, वैकल्पिक प्रबंधन और कार्यान्वयन कौशल सबंधी दक्षताओं का उपयोग किया जा सके।
ग. उपभोक्ता और सर्वसाधारण को बेहतर गुणवत्ता की मूल्य वर्द्धित सेवाएं प्रदान और सुनिश्चित की जा सकें।
घ. आवश्यकताओं की बेहतर पहचान और संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सके।
ड़. सुचारू लोक अवस्थापना अपेक्षाकृत अल्पावधि में विकसित की जा सके।

2. आर्थिक विकास करना तथा लोक अवस्थापना और सार्वजनिक सेवाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू निवेश का संवर्धन।
3. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के अव्यवस्थित निष्पादन का नकारात्मक प्रभाव सीमित करना।
4. समस्त प्रतिभागियों के लिए समान रूप से क्रियाओं को सृजित करने तथा समस्त स्टेकहोल्डरों के हित संरक्षण के लिये एक पारदर्शी, सुसंगत, दक्ष प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना।
5. स्वामित्व वाले विभागों की सहायता से लोक निजी सहभागिता के लिए प्रस्तावित की जाने वाली परियोजनाओं की शेल्फ तैयार करना और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से अग्रसारित करना।
6. परियोजना संरचना में जोखिम की भागीदारी करने हेतु आवश्यक ढांचा उपलब्ध कराना ताकि जोखिम ऐसे पक्ष को निर्दिश्ट किया जा सके जो उनके प्रबंधन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है।
7. लोक निजी सहभागिता के लिए सही परियोजनाओं के चयन द्वारा जनता को सतत लाभ सुनिश्चित करने के लिए सभी परियोजनाओं के धन के सबसे अच्छे मूल्य के आकलन हेतु उपयुक्त तंत्र स्थापित करना।
8. परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए एक प्रभावी एवं कुशल संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
9. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए एक सुगठित शिकायत निवारण तंत्र/नियामक ढांचा तैयार करना।

1.5. प्राथमिकता क्षेत्र

1.5.1. नीति द्वारा आच्छादित प्राथमिक क्षेत्र, जो समय–समय पर संशोधित किए जा सकते हैं, निम्नवत हैं :

क्र.सं.	क्षेत्र	उप–क्षेत्र
1.	शहरी	1. शहरी परिवहन प्रणालियां/सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का सुधार, आधुनिक बस–स्टैंडों के निर्माण सहित।
		2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
		3. सीवरेज एवं अपवहन
		4. जन द्रुत परिवहन प्रणालियां
		5. जल उपचार और आपूर्ति
2.	ऊर्जा	1. जल विद्युत शक्ति, संचरण एवं वितरण प्रणालियां
		2. वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन और वितरण
3.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	1. बागबानी एवं पुष्पकृषि
		2. जैविक खेती एवं स्वदेशी बीज विकास
		3. कृषि उत्पादन और विपणन
		4. ग्रामीण अवस्थापना
		5. जल उपचार और आपूर्ति
4.	परिवहन	1. विमानपत्तन, हवाईपट्टियां और हेलीपोर्ट
		2. सड़क, पुल और बाईपास, बस अड्डे, रज्जू मार्ग
		3. रेलवे एवं संबंधित परियोजनाएं
		4. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और संभार केंद्र
5.	पर्यटन	1. पर्यटन और संबंधित अवस्थापना, मनोरंजन सहित
		2. गंतव्य विकास

		3. पर्यावरणीय–पर्यटन
6.	सामाजिक	1. स्वास्थ्यरक्षा अवस्थापना और संबंधित सेवाएं
		2. शिक्षा अवस्थापना और संबंधित सेवाएं
7.	व्यापार एवं उद्योग	1. औद्योगिक पार्क, थीम पार्क जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/ जैव–प्रौद्योगिकी (बीटी) पार्क, नॉलेज पार्क, विशेष आर्थिक जोन तथा टाउनशिप
		2. व्यापार मेला, सम्मेलन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक केंद्र

कोई अन्य क्षेत्र/सहूलियत, जो सरकार द्वारा सम्मिलित की जाए।

लोक निजी सहभागिता परियोजना का परीक्षण

सभी अवस्थापना एवं परियोजनायें जो (1.5.1) पर उल्लिखित है, का लोक निजी सहभागिता परीक्षण करना अनिवार्य है, जिसके तहत यह सुनिचित किया जा सके कि वह परियोजना लोक निजी सहभागिता के माध्यम से सर्वश्रेश्ठ मूल्य निर्धारित करता है।

2. मूल सिद्धांत

2.1. मूल सिद्धांत

यह नीति निम्नलिखित मूल सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित है :

क. धन का मूल्य निर्धारण

ख. वर्तमान संपत्तियों का मितव्ययी उपयोग तथा अतिरिक्त संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन

ग. सेवाओं हेतु भुगतान

घ. न्यायसंगत अनुबंध–संरचनाएं

ड़. अधिप्राप्ति की पारदर्शी प्रक्रिया

च. निष्पक्ष नियामक ढांचा

छ. समर्थ संस्थागत ढांचा

ज. पोषणीय प्रोत्साहन और रियायतें

2.2 धन का मूल्य निर्धारण हेतु सर्वश्रेष्ठ मूल्य

उत्तराखंड सरकार सभी विभागों/एजेन्सियों को सभी परियोजनाओं के धन का मूल्य निर्धारण हेतु सर्वश्रेष्ठ मूल्य की भावना और प्रक्रिया उनकी आंतरिक कार्यप्रणाली में आत्मसात करने हेतु प्रोत्साहित करेगी, ताकि लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं हेतु बोलियों के बेहतर बेन्चमार्क सृजित किए जा सकें।

प्रत्येक सेक्टर तथा परियोजना का धन का मूल्य निर्धारण हेतु मूल्य के संबंध में भिन्न अपेक्षाएं होंगी किंतु प्रमुख सिद्धांतों द्वारा संसाधनों का बेहतर उपयोग, जोखिम का बेहतर विभाजन और तद्द्वारा निर्गत सेवाओं के लिए जन साधारण को बेहतर मूल्य का सृजन सुनिश्चित किया जाएगा।

2.3. परिसंपत्तियों का कुशल उपयोग तथा संसाधनों का विभाजन

सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पूल का सर्वश्रेष्ठ संभव उपयोग करने तथा नई सेवाओं से योजित लाभों हेतु प्रतीक्षावधियां न्यूनतम करने के क्रम में, सरकार को सर्वप्रथम वर्तमान परिसंपत्तियों के कुशल उपयोग सुधार के उपायों और उनके माध्यम से सेवा प्रदायगी के बेहतर प्रबंधन की संभावना सृजित करने पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके फलस्वरूप लोक निजी सहभागिता प्रक्रिया द्वारा नवीनतर संपत्तियों के सृजन हेतु संसाधन आवंटन को सही प्राथमिकता क्रम दिया जा सकेगा। इसके परिणामस्वरूप बेहतर परियोजनायें तैयार की जा सकेंगी, जो विद्यमान और नई संपत्तियों के एकीकरण द्वारा एकीकृत अवस्थापना विकास का दृष्टिकोण पैदा करेगी।

उत्तराखंड सरकार सामाजिक आवश्यकता और आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहन देगी। उत्तराखंड सरकार, तथापि, स्वीकार करती है कि सभी "सामाजिक" परियोजनाएं लोक निजी सहभागिता के लिए पर्याप्त वाणिज्यिक प्रोत्साहन अभ्यर्पित नहीं कर सकती है। ऐसे मामलों में, सरकार अन्य प्रतिपूर्ति तंत्रों का उपयोग करेगी जैसे कि वीजीएफ अथवा वार्षिकी (एन्यूटी)–भुगतानों का प्रावधान। विकल्पतः, उत्तरांखड सरकार (अथवा सरकारी एजेंसी) ऐसी परियोजनाएं स्वयं कार्यान्वित कर सकती है और, जहां कहीं संभव है, सेवाओं का प्रबंधन अंततः निजी क्षेत्र सहभागी (पीएसपी) को अंतरित कर सकती है।

उत्तराखंड सरकार अवस्थापना के विस्तार, प्रोन्नयन तथा/अथवा विकास के लिए निवेशों को युक्तिसंगत बनाने हेतु यथार्थ–मापदंड भी विकसित करेगी। प्रतिनिधिक रूप से, परियोजना की पहचान और प्राथमिकता क्रम निर्धारण निम्नलिखित आधारों द्वारा नियंत्रित होगा :

क. अवस्थापना हेतु मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल का आकार;
ख. संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस, विशेष रूप से मूल अवस्थापना के प्रावधान के संबंध में;
ग. प्रत्यक्ष/अंतर–क्षेत्रीय सम्पर्कों का विकास जहां महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

चूंकि उत्तराखंड सरकार अवस्थापना परियोजनाओं में लोक निजी सहभागिता को सक्रियरूप से प्रोत्साहन देगी, अतः निवेशयोग्य सार्वजनिक निधियों के एक बड़े हिस्से का उपयोग सामाजिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, जो अन्यथा निजी वित्तीय पहल के लिए उपलब्ध नहीं होता। दीर्घावधि अवस्थापना वित्तपोषण के लिए सरकारी निधियों का स्थायी स्रोत सृजित करने के क्रम में, उत्तराखंड सरकार तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों की विभिन्न स्कीमों के तहत आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों में वृद्धि की जाएगी।

2.4. सेवाओं हेतु भुगतान

2.4.1. उत्तराखंड सरकार स्वीकार करती है कि एक व्यवस्था में जहां सेवाओं का मूल्य आर्थिकरूप से पोषणीय नहीं है, उपभोक्ता संसाधनों के उपयोग में मितव्ययिता हेतु प्रोत्साहित नहीं होंगे तथा सेवाप्रदाता अधिक दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित नहीं होंगे। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि "सेवा प्रदाता–प्रभारित करता है" तथा उपभोक्ता–भुगतान करता है" के सिद्धांत की दृढ़धारणा लोक निजी सहभागिता की सफलता का मूलमंत्र है। इस दिशा में उत्तराखंड सरकार, जहां आवश्यक और उपयुक्त है, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता शुल्क लागू करने (टोल, शुल्क, टैरिफ, उपकर इत्यादि) पर विचार करेगी :

क. उपभोक्ता को किफायती कीमतों पर बेहतर, टिकाऊ और उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के क्रम में परियोजना संपत्तियों के निर्माण/पुनर्विकास/पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन और उनके चालू कार्यों तथा अनुरक्षण के लिए एक स्थायी तथा समर्पित वित्तीय स्रोत का सृजन।
ख. मांग प्रबंधन
ग. लोक निजी सहभागिता प्रोत्साहन
घ. सेवा प्रावधान की लागत शामिल करना
ड़. यह स्वीकार करते हुए कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग प्रयोक्ता प्रभारों में कुछ आर्थिक सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं, परियोजना हेतु ऐसी आर्थिक सहायता सुव्यक्त करना ताकि परियोजना का आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने रहना सुनिश्चित किया जा सके।

2.4.2. उपभोक्ता प्रभारों का लागू किया जाना निम्नलिखित एक अथवा अधिक मानदंडों पर आधारित होगा :

क. उपभोक्ताओं की बचत
ख. भुगतान हेतु इच्छा
ग. भुगतान की क्षमता
घ. सुव्यक्त आर्थिक सहायताओं की आवश्यकता
ड़. विभिन्न परियोजनाओं के बीच एकरूपता
च. वर्तमान सेवा स्तर और विचारित सुधार
छ. लागत वसूली
ज. ऋणसेवा और प्रतिभूति प्रतिफल

2.5. अनुबंध संबंधी संरचनाएं

2.5.1. उत्तराखंड सरकार परियोजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त अनुबंध–व्यवस्था करेगी। उत्तराखंड सरकार का प्रयास, निजी निवेशकों की वैध चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध–पक्षों के बीच जोखिमों के न्यायसंगत विभाजन के लिए अनुबंध–ढांचा तैयार करने की दिशा में होगा। ऐसे पक्ष को जोखिम विभाजन का प्रयास किया जाएगा जो उस जोखिम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

2.5.2. वर्तमान परिसंपत्तियां : अनुबंध/कार्यान्वयन में प्रयुक्त संरचनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

क. निम्नलिखित के माध्यम से निजी आपरेटर द्वारा परिसंपत्तियों का पूर्ण या आंशिक प्रबंधन
   i. पूर्व–निर्धारित अवधियों के लिए परिचालन तथा अनुरक्षण (ओएवंएम) अनुबंध
   ii. परिसंपत्तियों का पट्टा/अनुज्ञप्ति
   iii. पुनरूद्धार, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (आरओएमटी) अनुबंध

2.5.3. नई परिसंपत्तियां : परियोजना की प्रकृति के अनुसार नई परियोजनाओं हेतु प्रयुक्त अनुबंध–संरचना/अनुबंधों में अन्य के साथ निम्न शामिल होंगे :

क. निर्माण एवं अंतरण (बी एवं टी)
ख. निर्माण–अनुज्ञापन–अंतरण (बीएलटी)
ग. निर्माण–अंतरण–प्रचालन (बीटीओ)
घ. निर्माण–प्रचालन–अंतरण (बीओटी)
ड़. निर्माण–स्वामित्व–प्रचालन–अंतरण (बीओओटी)
च. निर्माण–स्वामित्व–प्रचालन (बीओओ)
छ. निर्माण–प्रचालन–अंश–अंतरण (बीओएसटी)
ज. निर्माण–स्वामित्व–प्रचालन–अंश–अंतरण (बीओओएसटी)
झ. निर्माण–स्वामित्व–अनुज्ञापन–अंतरण (बीओएलटी)
ञ. डिजाइन–निर्माण–वित्तपोषण–प्रचालन–अंतरण (डीबीएफओटी)
ट. पुनरूद्धार–वित्तपोषण–प्रचालन–अंतरण (आरएफओटी)

2.5.4. विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)

जहां कहीं उपयुक्त है, उत्तराखंड सरकार/उत्तराखंड सरकार की एजेंसियां अवस्थापना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन हेतु किसी एसपीवी की इक्विटी संरचना में भाग ले सकती है। एसपीवी में भाग लेने हेतु पीएसपी के चयन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। एसपीवी की इक्विटी संरचना का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

2.6. अधिप्राप्ति प्रक्रिया

2.6.1. मूलतः सभी पीपीपी अनुबंध उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के दायरे के तहत, एक पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

चूंकि लोक निजी सहभागिता नीति में परियोजनाओं के लिए तीव्रतर तथा एकरूप मंजूरी प्रक्रिया विचारित की गई है, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा इसको इस नीति को निर्धारित ढांचे के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

सभी मामलों में, कार्य सौंपने संबंधी मानदंड सुस्पष्ट व्यक्त किए जाएंगे। अधिप्राप्ति प्रक्रिया परियोजना के आधार अथवा जटिलता के स्तर पर और प्रतिस्पर्द्धी बोली को प्रोत्साहित करने के लिए भी एकल–चरण अथवा दो–चरणों में पूरी की जा सकती है।

एकल बोली तथा अव्यावहारिक बोलियों के संचालन हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

2.6.2. इस प्रयोजन हेतु, उत्तराखंड सरकार आवश्यक तकनीकी योग्यताधारक भारत सरकार और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नामित सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है। साधारणतः, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे :

क. परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी

ख. अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई/योग्यताओं हेतु अनुरोध (आरएफक्यू)

ग. आरएफपी तथा डीसीए के अनुमोदन

घ. विधिक ढ़ांचा तथा सभी परियोजनाओं के लिए नियामक एजेन्सी से अनुमोदन

च. प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

i. तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव

छ. बोलियों का तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन

ज. लोक निजी सहभागिता भागीदार(रों) का चयन

झ. अनुबंध पर हस्ताक्षर

2.6.3. प्रारंभिक चयन मानदंड निम्नलिखित पूर्व–योग्यता प्राचलकों पर आधारित होंगे।

क. बोलीदाता की वित्तीय दृढ़ता–शुद्ध मूल्य, विगत तीन वर्षों में औसत टर्नओवर, संपत्ति आधार इत्यादि।

ख. पूर्णकालिक कुशल कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या

ग. सम्बद्ध गुणवत्ता प्रमाणन (आईएसओ 9000, आईएसओ 14000 इत्यादि)

घ. उस सेक्टर में परियोजनाओं की न्यूनतम संख्या (सुनिश्चित मूल्य की) का उत्तरदायित्व संभाल चुका होना चाहिए।

ड़. उस सेक्टर में परियोजनाओं के सफल समापन का ट्रैक रिकॉर्ड

च. सैक्टर वि ोश के लिए राश्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय माप दण्ड

2.6.4. चयन हेतु प्रयुक्त मानदंडों में उद्देश्यात्मक तकनीकी/वित्तीय प्राचलक सम्मिलित होंगे, जैसेकि :

क. सेवा का स्तर, प्रस्तावित परिसंपत्तियों की गुणवता;

ख. व्यवहार्यता अनुदान सहायता का न्यूनतम वर्तमान मूल्य;

ग. भूमि का न्यूनतम परिमाण;

घ. सरकार से परिसंपत्ति आधारित सहायता का न्यूनतम वर्तमान मूल्य

ड़. राजस्व का अधिकतम अंश (अथवा वर्तमान मूल्य)

च. न्यूनतम यूनिट मूल्य अथवा उत्तराखंड सरकार द्वारा भुगतानों का वर्तमान मूल्य;

छ. अधिकतम प्रत्यक्ष भुगतान (अथवा प्रत्यक्ष भुगतानों का वर्तमान मूल्य);

ज. भावी भुगतानों का अधिकतम वर्तमान मूल्य

झ. न्यूनतम रियायत अवधि;

ञ. न्यूनतम यूनिट मूल्य अथवा उपभोक्ता शुल्कों का वर्तमान मूल्य;

ट. प्रस्तावित इक्विटी शेयरों का अधिकतम प्रीमियम (अथवा वर्तमान मूल्य);

ठ. प्रस्तावित धन हेतु सर्वश्रेष्ठ मूल्य।

2.7 नियामक ढांचा

उत्तराखंड सरकार का मानना है कि लोक निजी सहभागिता मॉडल के तहत अवस्थापना के सृजन में यह अपेक्षित है कि उसमें ऐसी प्रतिस्पर्द्धी सुविधाओं का सृजन नहीं होने का पर्याप्त आश्वासन होना चाहिए, जो परियोजना की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता को यथार्थतः प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ऐसी एकाधिपत्यवादी स्थितियों का स्वतंत्र नियंत्रण सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व होगा ताकि प्रयोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं दोनों के हित दृष्टिगत रखना सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तराखंड सरकार का आशय कुछ अवस्थापना सेक्टरों के लिए पृथक नियामक प्राधिकरण स्थापित करना है। नियामक की भूमिका में प्रवेश तथा निकास के लिए प्रतिमान निर्धारण, शुल्क दर नियतन, सुविधाओं/सेवाओं के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के लिए मानदंड निर्धारित करना, निजी भागीदारी और सरकारी एजेंसी के बीच राजस्व भागीदारी तय करना, परियोजना अवधि के दौरान निजी भागीदारी के एकपक्षीय निकास से बचने के लिए बैंक गारंटियों, संपार्श्विक अथवा किसी ऐसे दस्तावेज के रूप में निकास अवरोधों का दृढ़ीकरण सम्मिलित होगा।

तथापि, नियामक प्राधिकरणों के गठन का निर्णय प्रत्येक सेक्टर की विशिष्टताओं के आधार पर किया जाएगा और वृहत्त स्तर पर लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के गठन से पूर्व नियामक ढांचे का गठन करना उचित होगा।

2.8 संस्थागत व्यवस्था

उत्तराखंड सरकार एक प्रभावी एवं दक्ष संस्थागत तंत्र की आवश्यकता को मान्यता देती है और इसलिए नीति के उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यकता समितियों तथा स ाक्त समूहों का गठन करती है।

2.8.1 साधिकार मंत्री समूह (ईजीएम)

उत्तराखंड सरकार लोक निजी सहभागिता विधि में प्रारंभ की जाने वाली पैरा 3.1.3 तथा 3.1.4 में वर्णितानुसार समस्त अवस्थापना परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीएम) का गठन करेगी :

स्थायी सदस्य :

क. वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार
ख. नियोजन मंत्री, उत्तराखंड सरकार
ग. ाहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार
घ. लोक निर्माण विभाग मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार
ड. एक मंत्री जो मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा

अस्थायी सदस्य :

च. संबंधित प्रशासनिक विभाग का मंत्री।

राज्य नोडल अधिकारी पीपीपी, प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन, ईजीएम के सदस्य–सचिव होंगे।

2.8.2 साधिकार अवस्थापना समिति (ईसीआई)

उत्तराखंड सरकार राज्य में लोक निजी सहभागिता के अंतर्गत अवस्थापना विकास सुसाध्य बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त अवस्थापना समिति (ईसीआई) का गठन करेगी, जिसमें सचिवगण सम्मिलित होंगे। राज्य नोडल अधिकारी पीपीपी, प्रमुख सचिव /सचिव नियोजन, ईसीआई के सदस्य–सचिव होंगे। पैरा 3.1.1, 3.1.4 तथा 3.1.5 में वर्णित समस्त लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए ईसीआई का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

2.8.3 ईसीआई की भूमिका

ईसीआई अवस्थापना सेक्टरों के विकास हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी और विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषण के संबंध में राज्य सरकार के समस्त प्रयासों का समन्वयन करने हेतु नोडल एजेंसी होगी।

2.8.4 ईसीआई की शक्तियां और कार्य

ईसीआई की शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

क. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारण, परियोजना अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृत एवं प्राधिकृत करना।

ख. पैरा 3.1.3, 3.1.4 एवं 3.1.5 में वर्णित परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु ईजीएम/राज्य मंत्रिमंडल को संस्तुति

ग. नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य विभागों के प्रयासों का समन्वयन करना।

घ. परियोजना के लिए वांछिनीय उपयुक्त नियामक तंत्र, सुगठित शिकायत निवारण तंत्र के गठन हेतु विशेष विधान का अधिनियमन संस्तुत करना।

ड़. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निष्पादन, संचालन एवं प्रबंधन के विषय में उनके निरीक्षण, समीक्षा और

मानीटरिंग के लिये निर्देश देना।

च. लोक निजी सहभागिता पहलकर्ता शाखा विभागों के लिये दिशानिर्देश तैयार और जारी करना।

छ. ईसीआई नीति, नियामक तथा किसी प्रासंगिक परिवर्तन के लिये संचालक होगी।

ज. विभागों, निजी क्षेत्र, नागरिकों इत्यादि में लोक निजी सहभागिता की पहलों के विषय में जागरूकता पैदा करना।

झ. परियोजना प्रारंभकर्त्ता विभाग के साथ परामर्श से निजी भागीदार के लिये विशिष्ट सेवा स्तरों का अनुमोदन करना तथा निजी भागीदार और परियोजना पहलकर्ता विभाग के बीच सेवा स्तर अनुबंध (एसएलए) का सूत्रबद्ध किया जाना सुनिश्चित करना।

ञ. लोक निजी सहभागिता के अधीन प्रारंभ किए गए परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना तथा वित्तीय एवं भौतिक दोनों प्रकार के लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धियों का विश्लेषण करना और सुधार उपायों, यदि अपेक्षित हैं, का निर्णय करना।

ट. लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के सफल निष्पादन के लिये विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करना।

ठ. विकास और राज्य लोक निजी सहभागिता पहलों के लिए उपयुक्त संचार कार्यनीतियां सूचीबद्ध करना।

ड. सुनिश्चित करना कि पारदर्शिता और उत्तरदायिता के उच्चतम मानदंड सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त लेखा–परीक्षा तथा मानीटरिंग मानक विकसित और अनुरक्षित किए गए हैं।

ढ. समय–समय पर, इसके विभिन्न विशेषज्ञों/सदस्यों तथा/अथवा समिति के स्टाफ (लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ) के मध्य से कोई समितियां/उप–समितियां गठित करना और उनको विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपना।

2.8.5 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ एवं तकनीकी सचिवालय

इस नीति के अंतर्गत सुनिश्चित कार्यों के संचालन में ईसीआई की सहायता नियोजन विभाग एवं उसमें स्थापित पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी।

पीपीपी परियोजना से सम्बन्धित प्र ाासनिक विभाग आव कतानुसार परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता है। परामर्दाताओं की नियुक्ति संगत नियमों के अन्तर्गत एक खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। नियोजन विभाग एवं उसके अधीन स्थापित पीपीपी प्रकोश्ठ पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने उन्हें ईसीआई और ईजीएम के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने हेतु नोडल एजेंसी होगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ सभी निवेश प्रस्तावों की संवीक्षा तथा मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निर्धारण, निजी निवेश के संभाव्यता अध्ययन हेतु दिशानिर्देश तैयार करने में सहायता, उपयुक्त मानक अधिप्राप्ति प्रलेख और अनुबंध प्रारूप तैयार करना और विकासकों की अधिप्राप्ति में सरकार/सरकारी एजेंसियों की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ, अवस्थापना परियोजनाएं लोक निजी सहभागिता प्रारूप में त्वरित गति से विकसित तथा कार्यान्वित करने में भी सरकार/ सरकारी एजेंसियों की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ राज्य में कार्यरत समस्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अभिसूत्रण, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग में भी उत्तराखंड सरकार की सहायता करेगा।

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के माध्यम से नीति के उद्देश्यों की प्रगति हेतु अपेक्षित निधियों की पूर्ति प्रारंभिक काल में बजटीय सहायता द्वारा की जाएगी।

विभागों को लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये पीपीपी प्रकोश्ठ द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी एवं यह प्रकोश्ठ पीपीपी परियोजनाओं/कार्यों के लिए तकनीकी सचिवालय की भांति कार्य करेगा।

नियोजन विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित तकनीकी लेखा प्रकोश्ठ को लोक निजी सहभागिता के साथ समायोजित होगा।

इस प्रकोश्ठ का संचालन प्रमुख सचिव, नियोजन के अधीन होगा।

2.8.6 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के कार्य

लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे :

क. स्वामित्व वाले विभाग/एजेंसी के साथ परामर्श से परियोजनाओं को चिन्हित कर, परिकल्पना और एक शेल्फ तैयार करने में सहायता करना।

ख. भिन्न सेक्टरों में महत्वपूर्ण परियोजनाएं चिन्हित करने में सहायता करना जिन पर शीघ्र ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

ग. ऐसी परियोजनाएं चिन्हित करने में सहायता करना जहां नेटवर्क विस्तार के महत्वपूर्ण लाभों का दोहन एकीकृत अवस्थापना विकास के लिए किया जा सकता है।

घ. राज्य सरकार द्वारा बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधीयन तथा/अथवा निजी क्षेत्र की सहभागिता द्वारा परियोजना कार्यान्वयन हेतु निधीयन का निर्णय करने हेतु धन का मूल्य सिद्धांत के अधीन परियोजनाओं के मूल्यांकन और आकलन के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श सहायता से आंतरिक मूल्यांकन दिशानिर्देश विकसित करना।

ड़. ऐसी परियोजनाओं का लोक निजी सहभागिता हेतु अनुमोदन के लिए ईसीआई को संस्तुत करना।

च. भिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को पूर्व–संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में स्वयं अथवा परामर्शदाताओं के माध्यम से सहायता करना।

छ. परियोजनाएं विकासकर्ता चयन के चरण तक पहुंचाने के लिए, संबंधित विभाग/एजेंसी के साथ परामर्श से परामर्शदाता की नियुक्ति/चयन करना।

ज. नियोजन विभाग के माध्यम से वीजीएफ तथा ऐसे प्रयोजन हेतु सृजित किसी अन्य निधि को जुटाने हेतु योजना आयोग, भारत सरकार (जीओआई) तथा अन्य निधीयन एजेंसियों जैसे कि विश्व बैंक के साथ अन्योन्य क्रिया करना।

झ. नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधीयन की आवश्यकता संस्तुत करना।

ञ. राज्य में लोक निजी सहभागिता हेतु क्षमता निर्माण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक निजी सहभागिता के विषय में प्रभावन दौरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन/अनुशंसा करेगा।

ट. परियोजना की अपेक्षानुसार उपयुक्त नियामक तंत्र/सुगठित शिकायत निवारण तंत्र की अनुशंसा करना।

ठ. यूआईडीएफ से, परियोजनाओं के विकास, अंतराल निधीयन के लिए लोक निजी सहभागिता की अपेक्षाओं तथा इस नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी अन्य अपेक्षा की अनुशंसा करना।

ड. निधि के सृजन, व्यवस्था और मानीटरिंग हेतु किसी विधान, यदि अपेक्षित है, का अभिसूत्रण और अनुशंसा करना।

ढ. राज्य में लोक निजी सहभागिता हेतु ज्ञान कोष के रूप में कार्य करना।

ण. उत्तराखंड सरकार अवस्थापना परियोजना विकास और कार्यान्वयन की सुगमता जनमत और स्टेकहोल्डरों की सहभागिता की भूमिका भी स्वीकार करती है। चूंकि परियोजना की व्यवहार्यता अंतिम प्रयोक्ता की लागत पर निर्भर है, अतः "बाजार क्या वहन कर सकता है" का सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जनमत जुटाना और स्टेकहोल्डरों की सहभागिता सुनिश्चित करना अवस्थापना परियोजना का अभिन्न अंग है। लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ इस प्रक्रिया की सुगमता व्यवसायिक निकायों, एनजीओ'ज उद्योग संघों तथा उपभोक्ता समूहों का सहयोग प्राप्त करेगा।

त. संस्थागत ढांचे में ऐसे अवरोधों जिनके द्वारा निवेश अवरूद्ध किए जाने की संभावना है को चिन्हित करना तथा उन्हें दूर करना और लोक निजी सहभागिता के माध्यम से अवस्थापना विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना।

थ. अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरण में परिवर्तन सुसाध्य बनाना।

द. राज्य में समस्त लोक निजी सहभागिता तथा ईएपी परियोजनाओं हेतु और कार्यान्वयन मानीटरिंग हेतु एक सुगठित मानीटरिंग ढांचा तैयार करना।

ध. लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ, प्रत्येक सेक्टर के लिए तैयार की गई कार्यनीति के आधार पर, उत्तराखंड सरकार के विभागों/एजेंसियों के साथ परामर्श से राज्य में अवस्थापना विकास हेतु एक मार्ग मानचित्र तैयार करेगा।

2.8.7 शाखा विभागों में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ का सृजन

राज्य लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ के साथ समन्वय हेतु तथा लोक निजी सहभागिता की पहल को आगे बढ़ाने के लिए समस्त शाखा विभागों/एजेंसियों में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे।

2.8.8 लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ/जिला स्तर समिति का सृजन

उत्तराखंड सरकार जिला स्तर पर एक जिला लोक निजी सहभागिता समिति गठित करेगी, जो लोक निजी सहभागिता मार्ग पर मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने की सुगमता सहित अवस्थापना परियोजनाओं के समन्वय और कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

जिला लोक निजी सहभागिता समिति की अध्यक्षता संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। यदि आव यक है तो, जिला समिति उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित उपयुक्त पदस्तर के अधिकारियों और राज्य स्तरीय औद्योगिक फोरम द्वारा नामित निजी क्षेत्र के अधिकतम 3 प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकती है।

3 परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया

3.1 परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया

लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के उपक्रमी प्रशासनिक विभाग को प्रत्याशित/अल्पसूचीकृत बोलीदाताओं से कोई वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करने से पूर्व निम्नलिखित परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा :

3.1.1. लोक निजी सहभागिता विधि में विकसित समस्त परियोजनाओं हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन

प्रशासनिक विभाग समस्त लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन वर्तमान उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 समय–समय पर संशोधनों के अनुसार प्राप्त करेगा।

3.1.2. पांच करोड़ रुपए तक परियोजना लागत की लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं हेतु

क. पांच करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत वाली लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 यथासंशोधित अद्यतन के अध्याय 6 में वर्णित व्यवसाय की वर्तमान नियमावली के अनुसार होगी।

3.1.3. पांच करोड़ रुपए अथवा अधिक किंतु पच्चीस करोड़ रुपए से कम परियोजना लागत वाली लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक विभाग को निम्नलिखित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा :

क. व्यय वित्त समिति (ईएफसी) उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार। ईएफसी परियोजना अपनी अनुशंसा सहित साधिकार मंत्री समूह (ईजीएम) को अग्रसारित करेगी
ख. प्रशासनिक विभाग द्वारा परियोजना ईजीएम को इसके अनुमोदनार्थ अग्रसरित करने से पूर्व संबंधित मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
ग. साधिकार मंत्री समूह (ईजीएम) परियोजना पर अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगा।

3.1.4. पच्चीस करोड़ रुपए अथवा अधिक किंतु दो सौ पचास करोड़ रुपए से कम परियोजना लागत वाली लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक विभाग को निम्नलिखित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा :

क. व्यय वित्त समिति (ईएफसी) उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार। ईएफसी परियोजना अपनी अनुशंसा सहित साधिकार अवस्थापना समिति (ईसीआई) को अग्रसरित करेगी।
ख. साधिकार अवस्थापना समिति (ईसीआई) परियोजना की समीक्षा करेगी तथा परियोजना अपनी अनुशंसा सहित साधिकार मंत्री समूह (ईजीएम) को अग्रसरित करेगी।
ग. प्रशासनिक विभाग को परियोजना ईजीएम को इसके अनुमोदनार्थ अग्रसरित करने से पूर्व संबंधित मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
घ. साधिकार मंत्री समूह (ईजीएम) परियोजना पर अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगा।

3.1.5. दो सौ पचास करोड़ रुपए अथवा अधिक परियोजना लागत की लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं हेतु प्रशासनिक विभाग को निम्नलिखित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा :

क. व्यय वित्त समिति (ईएफसी) उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार। ईएफसी परियोजना अपनी अनुशंसा सहित साधिकार अवस्थापना समिति (ईसीआई) को अग्रसरित करेगी।
ख. साधिकार अवस्थापना समिति (ईसीआई) परियोजना की समीक्षा करेगी तथा परियोजना अपनी अनुशंसा सहित राज्य मंत्रिमण्डल को अग्रसरित करेगी।
ग. प्रशासनिक विभाग को परियोजना मंत्रीमण्डल को इसके अनुमोदनार्थ अग्रसरित करने से पूर्व संबंधित मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
घ. राज्य मंत्रिमण्डल परियोजना पर अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगा।

3.1.6. परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया का सारांश

क. उत्तराखंड सरकार द्वारा विकसित लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए

लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं की परियोजना लागत (करोड़ रुपए)	से अनुमोदन अपेक्षित				
	सैद्धांतिक अनुमोदन	ईएफसी	ईसीआई	ईजीएम	राज्य मंत्रिमंडल
5 करोड़ रुपए तक	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5 करोड़ रुपए अथवा अधिक किंतु 25 करोड़ रुपए से कम	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
25 करोड़ रुपए अथवा अधिक किंतु 250 करोड़ रुपए से कम	हां	हां	हां	हां	नहीं
250 करोड़ रुपए अथवा अधिक	हां	हां	हां	नहीं	हां

3.1.7. परियोजना लागत की परिभाषा

इस अनुच्छेद 3 के प्रयोजनार्थ, परियोजना लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

क. राजस्व जनक वाणिज्यिक परियोजनाएं : परियोजना लागत में सिविल निर्माण, उपस्करों की अधिप्राप्ति, फर्नीचर, फिक्सचर्स, वाहनों अथवा किसी अन्य उपस्कर, परियोजना हेतु संस्थापन अथवा अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित भौतिक परिसंपत्ति, परियोजना विकास व्यय, वित्त पोषण और अन्य आकस्मिक प्रभारों पर प्राक्कलित पूंजी निवेश का मूल्य सम्मिलित होगा।

ख. अ–राजस्व जनक परियोजनाएं, दक्षता वर्धन/लागत बचतकारी परियोजनाएं (प्रबंधन अथवा सेवा अनुबंध अथवा अभियांत्रिकी, निष्पादन आधारित ओ एवं एम अनुबंध तथा वार्षिकी (एन्यूटी)–आधार अनुबंध) :

परियोजना लागत में सम्मिलित होंगे :

i. परियोजना लागत में सिविल निर्माण, उपस्करों का अधिप्राप्ति, फर्नीचर, फिक्सचर्स, वाहनों अथवा किसी अन्य उपस्कर, परियोजना हेतु संस्थापन अथवा अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित भौतिक संपत्ति, परियोजना विकास व्यय, वित्त पोषण और अन्य आकस्मिक प्रभारों पर प्राक्कलित पूंजी निवेश का मूल्य सम्मिलित होगा।
तथा/अथवा

ii. सरकार द्वारा निजी भागीदार को पूरी रियायत अवधि के दौरान देय अनुदान (पूंजी/राजस्व), वार्षिकी का

प्राक्कलित वर्तमान मूल्य।

3.2. शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं इत्यादि

क. दोहरी अनुमोदन प्रणाली (ईजीएम/ईसीआई तथा संबंधित बोर्ड इत्यादि)
ख. विस्तृत दिशानिर्देश भहरी स्थानीय निकायों इत्यादि के साथ परामर्श के पश्चात जारी किए जाएंगे।

3.3. सरकारी स्वाधिकृत कम्पनियां, संस्थाएं, संयुक्त उद्यम इत्यादि
क. इन स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं को इस नीति में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

3.4. लोक निजी सहभागिता व्यवस्था के अंतर्गत विकसित परियोजनाओं हेतु अनुमोदन प्रक्रिया

चूंकि लोक निजी सहभागिता परियोजना विकास प्रक्रिया एक तकनीकी विषय है तथा इसमें परियोजना संरचना हेतु जटिल मूल्यांकन प्रक्रियाएं अंतर्ग्रस्त हैं, संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव लोक निजी सहभागिता परियोजना विकास प्रक्रिया, संवीक्षा और मूल्यांकन का उत्तरदायित्व संभालने के लिए विभागाध्यक्ष और सचिवालय दोनों स्तरों पर आवश्यक तकनीकी और परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञताधारक अधिकारियों को चिन्हित कर सकते हैं।

3.5. विकासकर्ता का अनुमोदन

निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होन के प चात प्रशासनिक विभाग द्वारा चयनित अनुदानग्राही के विषय में अंतिम अनुमोदन संबंधित मंत्री से प्राप्त किया जाएगा।

3.6. विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के माध्यम से विकास

एसपीवी का संगठन, जैसे और जब इस नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और साकार करना अपेक्षित होगा, किया जाएगा और परियोजना को गति प्रदान करने हेतु वि ोश प्रयोजन साधनों में विभिन्न मंजूरी तथा अनुमतियां प्राप्त की जाएंगी।

4. मानीटरिंग, मूल्यांकन और आकलन ढांचा

लोक निजी सहभागिता कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, एक सुगठित मानीटरिंग, मूल्यांकन और आकलन ढांचा विकसित तथा उपयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा।

4.1. मानीटरिंग एवं मूल्यांकन

एम एवं ई ढांचे के तहत, शाखा विभाग संबंधित प्रत्येक लोक निजी सहभागिता परियोजना के अधीन परियोजना डिजाइन और समय पर कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। नियोजन विभाग के अधीन स्थापित लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ राज्य में समस्त परियोजनाओं के समग्र मानीटरिंग और मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी होगा।

ईसीआई द्वारा लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं का नियमित पुनरीक्षण और मानीटरिंग किया जाएगा। लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं के निष्पादन में लगे सभी विभाग/एजेंसियां नवीनतम विकास के संबंध में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ को सूचना/डेटा उपलब्ध कराएंगे।

इस संबंध में लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा एम एवं ई के अधीन निभाई जाने वाली मुख्य भूमिकाओं का उल्लेख नीचे किया गया है :–

4.1.1. परियोजना मानीटरिंग

परियोजना मानीटरिंग के अधीन, लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

क. मानक प्रलेखों, विस्तारशीटों तथा परियोजना प्लान सांचों के रूप में कार्यक्रम मानीटरिंग साधनों का चिन्हिकरण एवं डिजाइन करना।

ख. विभागों और एम एवं ई के क्षेत्र में परियोजना टीमों के लिए क्षमता निर्माण दिशानिर्देशों का सहायता विकास।

ग. व्यक्तिगत परियोजनाओं, पथ विचलनों का वित्तीय और भौतिक मानीटरिंग और समाधान हेतु प्रमुख कार्यवाही क्षेत्रों की पहचान सुनिश्चित करना।

घ. मुख्य परियोजना मापों पर प्रगति रिपोर्ट हेतु प्रक्रिया स्थापन एवं व्यवस्था। इस हेतु लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ को एम एवं ई ढांचा तैयार करने हेतु एक एजेंसी नामांकित करने की आवश्यकता हो सकती है।

ड़. राज्य की लोक निजी सहभागिता पहल के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की समीक्षा/समाप्ति के लिए प्रलेख सुलभ बनाने हेतु प्रक्रिया स्थापन।

4.1.2. परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन

परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन के अधीन, लोक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

क. विभागों और परियोजना मूल्यांकन तथा प्रभाव आकलन के क्षेत्र में परियोजना टीमों के लिए क्षमता निर्माण दिशानिर्देशों का सहायता विकास।

ख. सुनिश्चित करना कि सभी परियोजनाओं हेतु व्यक्तिगत परियोजना मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया है।

ग. सहभागी विभागों के लिए, प्रसंग विषयों यथा सेवा स्तर अनुबंध प्रारूपण इत्यादि में, एक परियोजना संदर्भ दिशानिर्देश तैयार एवं प्रसारित करना।

घ. परियोजना मूल्यांकन और प्रभाव आकलन के सरलीकरण के लिये प्रक्रिया निर्धारण, जिसमें परियोजना मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन के निष्पादन हेतु परामर्शदाताओं/संगठनों का नामांकन और डेटा संग्रहण, आधार–रेखांकन और निष्पादन आकलन के लिये तृतीय पक्ष की नियुक्ति सम्मिलित होगी।

5. जोखिम आकलन ढांचा

अवांछित घटनाओं में जोखिम की संभावना रहती है, जो परियोजनाओं उद्देश्यों तथा परिणामों की उपलब्धि को क्षति पहुंचा सकती हैं। एक सुगठित जोखिम आकलन ढांचा स्थापित किया जाएगा जो राज्य लोक निजी सहभागिता पहलों की सहायता जोखिम के पर्याप्त और सामयिक आकलन में करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि जोखिम कम करने के उपयुक्त उपाय किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार समय–समय पर प्रजातीय (जेनेरिक) जोखिमों पर मार्गदर्शन टिप्पणियां जारी करेगी।

6. राज्य सहायता

राज्य सरकार जहां कहीं अपेक्षित होगा विशिष्ट प्रोत्साहन करने हेतु और शुल्क दर निर्धारण, मूल्य निर्धारण, मध्यस्थता, सुरक्षा एवं प्रचालनात्मक मानकों इत्यादि के लिए तंत्र स्थापित करने हेतु सेक्टर विशिष्ट नीतियां तैयार करेगी। यह अवस्थापना सेक्टरों के बीच समन्वय और सेक्टर–योजनाओं में सामंजस्य पर भी विचार कर रही है।

राज्य सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

6.1. प्रशासनिक सहायता

राज्य सरकार राज्य में विकसित सभी अवस्थापना परियोजनाओं को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रस्तुत करेगी, जिसमें सम्मिलित होंगे :–

क. परियोजना हेतु अपेक्षित समस्त राज्य एवं केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करना।

ख. समस्त पुनरूद्धार एवं पुनर्वास गतिविधियां, यदि ऐसा अपेक्षित है, राज्य सरकार की पुनरुद्धार एवं पुनर्वास नीति के अनुसार सुसाध्य बनाना, जहां कहीं आव यक है, उपयोगिताओं के स्थानांतरण सहित।

ग. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की व्यवहार्यता संवर्धन हेतु विभिन्न केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की स्कीमों (लागू अनुसार) के तहत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण।

घ. परियोजनास्थल पर बिजली और पानी की आपूर्ति का प्रावधान सुगम बनाना।

ड़. परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण सुगम बनाना।

6.2. वित्तीय सहायता

परियोजनाओं हेतु बोलियां उत्तराखंड सरकार/उत्तराखंड सरकार की एजेंसी से आव यक वित्तीय सहायता के आधार पर लगाई जा सकती हैं। ऐसी वित्तीय सहायता वार्षिक एक–मुश्त भुगतानों, निष्पादन से जुड़े भुगतानों के रूप में हो सकती है तथा इसका निधीयन उत्तराखंड सरकार/उत्तराखंड सरकार की एजेंसी द्वारा किए गए बजटीय आवंटनों से किया जाएगा।

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध व्यवहार्यता अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार भी आकस्मिक अवस्थापना परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने और कार्यान्वयन में सहायता के लिए, खुली बोली से प्राप्त हुए व्यवहार्यता अंतराल के शेष भाग नकद में अथवा अन्य रियायतों द्वारा अंशदान उपलब्ध करा सकती है।

7. स्टेकहोल्डरों के अधिकारों का संरक्षण

उपभोक्ता, विकासकर्ताओं, स्थानीय समुदाय और ऋणदाताओं, जिनको सामूहिक रूप से स्टेकहोल्डर कहा जाता है, के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। विभिन्न विचारित तंत्रों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

क. स्थानीय समुदायों की हित रक्षा करते हुए परियोजना के सफल और समयबद्ध कार्यान्वयन प्रचालन हेतु पर्याप्त विधायी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना।

ख. उपभोक्ता प्रभारों के उद्ग्रहण तथा संग्रहण हेतु पर्याप्त विधायी एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना।

ग. समस्त स्टेकहोल्डरों के अधिकारों के संरक्षण हेतु एमसीए'ज का अंगीकरण, अनुकूलन तथा विकास और समस्त परियोजना प्रलेखों में आवश्यक उपबंध समाविष्ट करना।

घ. सेवा मानदंडों, राजस्व धाराओं तथा न्यायसंगत उपभोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण और जहां कहीं लागू है उपभोक्ताओं के छूट संवर्ग की व्यवस्था समाविष्ट करते हुए रियायत अनुबंधों की संरचना करना।

ड़. स्वतंत्र नियंत्रक अपीलीय फोरमों तथा अन्य सुगठित विवाद निस्तारण तंत्र की स्थापना करना।

च. परियोजना अनुमोदन अपेक्षाओं में स्टेकहोल्डरों से परामर्श को प्राथमिक आव यकता बनाया जाना सुनिश्चित करना।

छ. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन समय पर सूचना उपलब्ध कराना।

8. अवधि और नीति की समीक्षा

यह नीति सरकारी आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगी तथा एक नई लोक निजी सहभागिता नीति बनाए जाने तक लागू रहेगी।

इस नीति की समीक्षा, स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझावों इत्यादि के समालोचनात्मक आकलन के आधार पर की जाएगी तथा आवश्यक एवं वांछनीय विचारित परिवर्तन समाविष्ट किए जाएंगे।

सरकार मानती है कि अवस्थापना के प्रावधान में लोक निजी सहभागिता के दायरे में विस्तार और संस्थानीकरण के कारण वर्तमान विधायी संरचना में उपयुक्त परिवर्तनों की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। लोक निजी सहभागिता हेतु विशिष्ट विधायी अवरोधों पर भी, समीक्षा के दौरान विचार किया जाएगा एवं ध्यान दिया जाएगा।

<u>नोट</u> : इस नीति एवं प्रवृत्त किसी अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम आदि के प्रावधानों के मध्य विरोधाभास होने की स्थिति में संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम आदि के प्रावधान प्रभावी होंगे, परन्तु ऐसे प्रावधानों के इस नीति के अनुरूप पीपीपी प्रस्ताव विकसित एवं क्रियान्वित करने में बाधक होने की स्थिति में प्रस्तावक प्र ाासकीय विभाग को यथा आव यकता संबंधित अधिनियम/नियम/उपनियम/विनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से छूट प्राप्त करनी आव यक होगी।